Rahul claims 'proof of poll fraud'; EC says 'back up charges on oath'

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Rahul Gandhi on Thursday alleged a "huge criminal fraud" in polls was being perpetrated through a "collusion" between BJP and EC, citing a Congress study that claimed the addition of fake voters in an assembly segment led to BJP winning the Bangalore Central Lok Sabha constituency in 2024.

Making a presentation at a presser, he also alleged assembly elections in Maharashtra and Haryana were "stolen" through voter manipulation. He claimed to have discerned a pattern of BJP winning LS seats by sweeping a solitary assembly segment.

FULL COVERAGE: P 11

The chief electoral officers of Karnataka, Maharashtra and Haryana asked the Congress MP to back up his claims. They told him that necessary action would be initiated if he repeats his claims on oath, declaring them to be "true to the best of his knowledge and belief".

In separate letters to him, all three asked him to sign and give his "declaration" immediately "along with the name (s) of such elector(s) so that proceedings can be initiated". If the evidence sought from Rahul is found false, it shall invite a jail term of up to three years under Section 227/229 of BNS and up to a year's imprisonment under Section 31 of Representation of the People Act, 1950, they said.

'JAIL TERM IF EVIDENCE FOUND FALSE'

"I want the nation to know that this (voter manipulation) is a crime against the Constitution and Indian flag. EC does not provide us data because it (fraud) is happening across the country. **EC is colluding with BJP** —**Rahul Gandhi**

Chief electoral officers of Karnataka, Maharashtra & Hry tell Rahul to substantiate his claims on oath so that they can be investigated. Remind him that presenting false evidence will invite jail term

Rahul Gandhi at a press conference on Thursday

जितनी अधिक आशा रखोगे उतनी अधिक निराशा होगी। -कहावत

एसआईआर का महत्व और चुनाव के मामलों में, चुनाव आयोग की विशिष्ट शक्तियाँ

भारत के संविधान में कई संवैधानिक संस्थायें हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन बड़ा है? यह सदैव चर्चा का विषय रहा है। अब तक की चर्चाओं में यह संदेश उभर कर आया है कि प्रत्येक संस्था अपने में अहम् है, सभी को अपने-2 अधिकार क्षेत्र में रहकर अपने संवैधानिक कर्त्तव्य को निभाना है। इस कथन में सत्य की तलाश की जावे, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सबसे अहम् अगर कोई है तो संविधान है; क्योंकि सभी अपनी-2 ऊर्जा, शक्ति और अपना ध्येय उसी शक्ति में ग्रहण करते हैं।

चुनाव आयोग को 'निर्वाचन' (Election) के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करना है ताकि लोकतंत्र वास्तविक हो, जहां जनता का राज्य, जनता द्वारा, जनता के लिये हो। चुनाव आयोग का Motto है "No Voter to be left behind" निर्वाचनों (चुनाव) के लिये, निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और देश के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण (Superintendence), निर्देशन (Direction) व नियंत्रण का, संचालन का कार्य चुनाव आयोग को दिया गया है। इसी को कानूनी भाषा में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'चुनाव आयोग' को कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान की विशेषता है कि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के आदेश पर Judicial Review का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार बहुत ही सीमित है। चुनाव आयोग को अपने काम में सहयोग के लिये सेवा को भी डिप्लाय करने का अधिकार है। चुनाव Fair हों अतः कोड ऑफ कन्डक्ट भी जारी करने का अधिकार है। चुनाव में होने वाले खर्चों पर अंकुश लगा सकता है। कतिपय कारणों पर उम्मीदवार को Disqualify किया जा सकता है।

भारत एक लोकतंत्र देश है। संविधान के अनुच्छेद 326 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य की विधान सभायें और लोकसभा के लिये निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा (On the basis of adult suffrage) अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है और जो कम से कम 18 वर्ष की आयु का है और जिसे देश के कानून के तहत् निर्हित (Disqualified) नहीं किया गया है, वही व्यक्ति चुनावों में मतदान करने का अधिकारी होगा। यह वही होगा जिसने किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का अधिकारी प्राप्त किया है।

मत देने तथा चुनाव में खड़े होने का अधिकार नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। वह संविधियक (Statutory) मात्र नहीं है (देखिये: राजबाला बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा; AIR 2016 SC 331

चुनाव आयोग के अधिकारों को समझने से पूर्व हमें संविधान के अनुच्छेद 324, 325, 326, 327, 328 व 339 को तथा उनकी विशिष्टता को समझना होगा। इन प्रावधानों के कारण इस संवैधानिक संस्था की अपनी पहिचान है। चुनाव आयोग के कार्यों को अथवा विषयों के सम्बन्ध में सदन और राज्य के विधान मंडलों के लिये निर्वाचन नामावली तैयार कराना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और अन्य तत्सम्बन्धित विषयों पर सभी आवश्यक विषयों पर उपबन्ध किये जावेंगे। यह व्यवस्था अनुच्छेद 327 व 328 में की गई है और अनुच्छेद 329 में निर्वाचन सम्बन्धी मामलों (Electoral Matters) में कानून की वैधतता को चुनौती दिये जाने के न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया है यानी Shall not be called in any Court तथा यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव सम्बन्धित विषय को केवल चुनाव याचिका (Election Petition) द्वारा ही चुनौती दी जावेगी। चुनाव याचिका सुनने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया गया है। यह याचिका चुनाव के रिजल्ट की घोषणा के बाद पेश की जावेगी।

लेखक ने SIR के सम्बन्ध में दायर की गई पिटीशनस् के सम्बन्ध में विस्तार से हो रही बहस के सम्बन्ध में विवरण दिया है; किन्तु पक्ष व विपक्ष में से सम्भवतः जितना लेखक समझ सका है, उपरोक्त प्रावधानों का ध्यान माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ के समक्ष आकर्षित नहीं किया है।

SIR को समझने के लिये हमें उक्त प्रावधानों को चुनाव आयोग के विशिष्ट अधिकारों को समझना होगा। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा की कार्य प्रणाली को हमें समझना चाहिये। इस कार्य में लाखों लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्य से मतदाता सूचियों का शोधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह भी सुनिश्चित करना है कि पात्र नागरिक अपने अधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके। इसके लिये हेल्प डेस्क स्थापित है। रैडम चेकिंग के लिये विशेष निरीक्षक दलों का गठन किया गया है। राज्य में 1.56 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेन्ट (BLO) नियुक्त किये गये थे। समय के साथ इनकी संख्या बढ़ी है। सभी दलों ने इतने लोगों को उतार कर निगरानी की है। इन्होंने फार्म भरवाने में सहयोग दिया है। इन्होंने लगभग 3.73 करोड़ फार्म ऐप में डिजीटली अपलोड किये हैं। सभी दलों ने अपने-2 एजेन्ट नियुक्त किये हैं। ये सब बूथ लेवल ऑफीसरों के सम्पर्क में थे। सैकड़ों चुनाव अधिकारी कर्मचारी राज्य भर में कार्यरत रहे हैं। राज्य में लगभग 73000 बूथों की संख्या है जो अब 92000 होने जा रही है। इन्होंने समय-2 पर ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी और सभी को सूचित किया है कि वे जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है फार्म भर कर सम्बन्धित डोक्यूमेंट जिनका उल्लेख चुनाव आयोग ने दिया है, साथ में संयोजित एक माह में पेश करें अथवा अन्य सबूत दें। सबको सुनवाई का मौका दिया जावेगा और तब फाइनल मतदाता सूची जारी की जावेगी। इतने बड़े यज्ञ के आयोजन में यदि किसी व्यक्ति कोई गलत काम किया है, तो इसके लिये उसे कानूनानुसार दण्डित किया जावेगा तो गलती का संशोधन होगा। फाइनल लिस्ट के बाद भी पीडित मतदाता को अपील का अधिकार है।

बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा की कार्य प्रणाली को हमें समझना चाहिये। इस कार्य में लाखों लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्य से मतदाता सूचियों का शोधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह भी सुनिश्चित करना है कि पात्र नागरिक अपने अधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके। इसके लिये हेल्प डेस्क स्थापित है। रैंडम चेकिंग के लिये विशेष निरीक्षक दलों का गठन किया गया है।

SIR नया नहीं है 2008 में दिल्ली में 2006 में उत्तराखण्ड में विशेष सघन पुनरीक्षण किया गया है। इसका प्रावधान चुनाव कानून में है।

राज्य सभा व संसद में प्रतिदिन SIR को लेकर प्रतिपक्ष आन्दोलन कर रहा है। इसी विषय पर देश की सबसे बड़ी अदालत में दायर याचिकाओं पर गरमा-गरम बहस चल रही है। अब तो इसकी चर्चा सड़कों पर यात्रा के रूप में निकालने की योजना भी बन चुकी है।

संसद में SIR पर चर्चा हो इस बाबत पर संसद के स्पीकर महोदय ने स्पष्ट किया कि यह विषय संसद के चर्चा का नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और इसे विशिष्ट अधिकार हैं तथा उन्होंने कहा कि पूर्व में भी संसद में चर्चा की मांग की गई थी किन्तु उस समय के स्पीकर महोदय ने चर्चा की अनुमति नहीं दी; क्योंकि संसद के इस संस्था को प्रतिनिधित्व देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। फिर भी विपक्ष दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है। गत कुछ दिनों से सदन का कामकाज रूक सा गया है।

यह स्वीकार है कि चुनाव आयोग एक विशिष्ट अधिकार प्रदत्त संवैधानिक संस्था है। हम सब हमारे देश भारत के गौरवशाली नागरिक है। नागरिक होने के कारण संविधान ने हमें मतदान का अधिकार दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि मतदान का अधिकार केवल देश के नागरिक ही को प्राप्त है। संविधान 51(क) में यह घोषणा की गई है 'भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं..... का आदर करें।' ऐसी महत्वपूर्ण संस्था पर यह आरोप लगाना कि चुनाव आयोग केन्द्र सरकार से मिलकर मतों की चोरी कर रहा है, क्या यही आरोप विपक्ष की आदर का मापदण्ड है? संसद को ऐसे लोगों पर जो नागरिक के कर्त्तव्य को पालना नहीं कर रहे हैं और घोर अवज्ञा कर रहे हैं, उन्हें चुनाव में खड़ा होने से Disqualify करने के लिये कानून बनाना चाहिये। विपक्ष का आरोप है कि महाराष्ट्र और अन्य जगह जहाँ चुनाव हुये हैं वहाँ भी मतों की चोरी कर चुनावों में जीत दर्ज की है। विपक्ष ने किसी केस में चुनाव के रिजल्ट को चुनाव याचिका में चुनौती नहीं दी है।

पूर्व में जब किसान (कृषि) कानूनों को लेकर उसी समय सुप्रीम कोर्ट में किसान कानूनों की वैधतता पर बहस भी हो रही थी। एक प्रश्न उठाया गया था कि जब किसान (कृषि) कानून पर बहस हो रही है तो किसानों को आंदोलन नहीं करना चाहिये। इस पर बहस सुनने के बाद माननीय कोर्ट में आन्दोलन को सीमित करने का सुझाव दिया था और वह लागू भी हुआ।

प्रश्न जो याचिकाओं में उठाया गया है वह नागरिकता से सम्बन्ध रखता है। SIR का प्रश्न भी नागरिकता है। देश इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि विदेशी फर्जी मतदाता भारत का भाग्य विधाता बने; जिसका उल्लेख पूर्व के सम्पादकीय में किया गया है।

एडीआर की ओर से दायर की गई याचिका पर (जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है), दिनांक 5.8.2025 को सुनवाई करते समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि वह विशेष पुनरीक्षण के दौरान बिहार मतदाता सूची से हटाये गये 65 लाख लोगों (मृत और स्थायी पलायन करने वालों आदि) का विवरण दिनांक 8.8.2025 तक न्यायालय में पेश करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ इस विषय पर सुनवाई कर आदेश देगी। देखना है क्या इस लेख में उठाई गई कानूनी आपत्तियों पर भी विचार होगा? चुनाव आयोग क्या उत्तर देता है इस पर आदेश निर्भर करता है।

सत्यमेव जयते।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

पंजाब केसरी
FRI,08 AUGUST 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 7

निर्वाचन बिंदुओं के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की चर्चा

दौसा,7 अगस्त (संतोष तिवाड़ी): 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्र का पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थिकरण, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम और मतदान केंद्र के लिए बीएलए.2 की नियुक्ति के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

दौसा: राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेते जिला कलेक्टर।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के सन्दर्भ में मतदाता सूचियों के आगामी प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण से पूर्व मतदान केंद्रों का सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसके अन्तर्गत जिले में 1200 से अधिक मतदाताओं वाले सभी मतदान केंद्रों का सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन किया जाना है। इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा तैयार मतदान केंद्रों के सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन के प्रस्तावों पर चर्चा एवं विचार किया गया।

पत्रिका

मतदाताओं के नाम नहीं कटें, एजेंटों को देंगे ट्रेनिंग

कांग्रेस एसआइआर पर निगरानी के लिए 52 हजार बूथों पर एजेंटों की नियुक्ति में जुटी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) में 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने के बाद विपक्ष हमलावर है। अब यह राजस्थान में भी शुरू करने की तैयारी से पहले ही प्रदेश कांग्रेस सक्रिय हो गई है। इसके लिए कांग्रेस ने राज्यभर में 52 हजार से ज्यादा बूथों पर अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इन एजेंट को मतदाता सूची पुनरीक्षण पर निगरानी रखने को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा।

10 बूथ लेवल एजेंट प्रथम कर रहे 52 हजार बूथों पर नियुक्ति: प्रदेश कांग्रेस ने राज्य स्तर पर बूथ लेवल एजेंट प्रथम 10 बनाए हैं। इनकी ओर से राज्यभर के 52 हजार बूथों पर बूथ लेवल एजेंट द्वितीय नियुक्त किए जा रहे हैं। एजेंट द्वितीय बनाने का 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

विधानसभावार होंगी बैठकें

सभी बूथों पर एजेंट की नियुक्ति होने के बाद विधानसभावार बैठकें होंगी। इसमें बूथ लेवल एजेंटों के साथ मंडल व ब्लॉक अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठकों में एजेंट को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 2002 की मतदाता सूची से आज के मतदाताओं की पड़ताल होगी। इसके लिए मतदाताओं के दस्तावेज तैयार कराने के साथ बूथों को रेड, यलो और ग्रीन श्रेणी में चिह्नित करने के बारे में बताया जाएगा।

08/08/2025 | Jaipur City | Page : 14
Source : https://epaper.patrika.com/

पत्रिका

आमने-सामने: फिर किया चुनाव आयोग और भाजपा के मिले होने का दावा

राहुल गांधी का वार- यह वोट चोरी का मॉडल आयोग का पलटवार-हस्ताक्षर कर शपथ पत्र दें

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए भाजपा व चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि यह वोट चोरी का मॉडल है। भाजपा व चुनाव आयोग मिले हुए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी को कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने शपथ-पत्र भेजा और कहा कि वह इस हस्ताक्षर करें कि आरोप सही लगा रहे हैं। दावे गलत पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

राहुल गांधी ने गुरुवार को इंदिरा भवन में हुई पत्रकार वार्ता में दावा किया कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को 'मशीन के पढ़ने योग्य' (मशीन रीडेबल) डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा है ताकि ये सब पकड़ा नहीं जा सके। इसी आधार पर अन्य जगह धांधली की गई है। पढ़ें **राहुल** @ पेज 10

राहुल बोले-पांच तरीके से वोट चोरी, महाराष्ट्र और हरियाणा का भी जिक्र
पढ़ें @अंतिम पेज

पांच साल बनाम पांच महीने

राहुल गांधी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में पांच माह इतने मतदाताओं के नाम जोड़े, जो पहले पांच साल में नहीं जोड़े गए थे।

नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता में आंकड़े दिखाते राहुल गांधी।

चुनाव आयोग को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दे रहे राहुल: भाजपा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बार-बार निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब जीतते हैं तो चुनाव आयोग में गड़बड़ी नहीं दिखती, लेकिन हारते ही संस्थाएं सवालों के घेरे में आ जाती हैं। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दे रहे हैं कि यदि जवाब नहीं मिला तो 'घातक परिणाम' होंगे। यह भाषा विपक्ष के नेता की नहीं, दबाव की राजनीति करने वाले नेता की है।

08/08/2025 | Jaipur City | Page : 3
Source : https://epaper.patrika.com/

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में वोटों की गड़बड़ी का खुलासा किया, कर्नाटक की केस स्टडी दिखाई

राहुल का दावा: आयोग-भाजपा वोट चुरा रहे, नए सबूत दिए; भाजपा बोली- ये साजिश

कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीईओ ने दस्तखत संग राहुल से शपथ पत्र मांगा

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर देशभर में चुनावों में आपराधिक धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट की पड़ताल सबूत के तौर पर दिखाई। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलोर सेंट्रल सीट के महादेवपुरा विधानसभा खंड में 1 लाख से ज्यादा वोटों में हेराफेरी हुई थी। साथ ही कहा कि वोट चोरी का यह मॉडल देशभर में लागू हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है। न्यायपालिका इस पर संज्ञान ले।

इसके बाद कर्नाटक व महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) ने राहुल से उन वोटर्स की सूची मांगी, जिनके नाम गलत तरीके से जोड़े या हटाए गए। एक हस्ताक्षरित शपथ पत्र भी मांगा, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। शपथ पत्र की मांग पर पलटवार करते हुए राहुल ने कहा, 'मैंने ये बातें सार्वजनिक रूप से कही हैं। यही मेरी शपथ है।' उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग मुझे दंडित करने से डर रहा है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल के आरोपों को लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ साजिश करार दिया। शेष | पेज 4

बेंगलोर सेंट्रल: महादेवपुरा विस में एक लाख वोटों की हेराफेरी मिली

राहुल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक की 28 में से 9 सीटें ही जीती। पार्टी ने बेंगलोर सेंट्रल में मिली हार की जांच की। यहां भाजपा 32,707 वोटों से जीती थी। विधानसभा वार पड़ताल पर पता चला कि महादेवपुरा के अलावा बाकी क्षेत्रों में कांग्रेस करीब 82 हजार वोटों से आगे थी। महादेवपुरा में भाजपा को 2,29,632 और कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले। यानी यहां से भाजपा को 1,14,046 वोटों की लीड मिल गई। इसलिए पार्टी ने महादेवपुरा में गहन पड़ताल की। जांच में इस क्षेत्र में 1,00,250 वोटों की गड़बड़ी मिली। कांग्रेस ने वोट चोरी के पांच तरीके पकड़ने का दावा किया है।

कांग्रेस का दावा- इन 5 तरीकों से हो रही 'वोट चोरी'

1 डुप्लीकेट वोटर • ऐसे 11,965 केस सामने आए

केस-1: गुरकिरत सिंह डांग का वोट 4 जगह मिला। बूथ नंबर 116, 124, 125 व 126 पर अलग-अलग एपिक नं. से वोट। **केस-2:** आदित्य श्रीवास्तव के 2 वोट महादेवपुरा, 1 मुंबई व 1 लखनऊ में। विशाल के 2 वोट महादेवपुरा और 1 वाराणसी में।

2 एक ही पते पर अनेक वोटर • 10,452 केस मिले

• बूथ नं. 470 के मकान नं. 35 में एक कमरा है। यहां 80 वोट हैं। बूथ नं. 366 के मकान नं. 791 में 46 वोट हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान 153 बियर क्लब में भी 68 वोट रजिस्टर्ड मिले हैं।

3 फॉर्म-6 का गलत प्रयोग • ऐसे 33,692 केस

• पहली बार के वोटर के फॉर्म से 70 वर्षीय शकुन 2 माह में 2 बार वोटर बनीं। दोनों वोट डले।

4 फर्जी और अमान्य पते

• **ऐसे 40,009 केस।** बूथ नं. 432 पर कई वोटों का मकान नं. 0 लिखा है। पता नहीं है। पते में 0, -, # जैसे चिह्न हैं। ऐसे पते हैं, जिनकी जांच नहीं हो सकती।

5 अमान्य तस्वीरें

• **ऐसे 4,132 केस हैं।** बूथ नं. 5 और 274 के उदाहरण दिए हैं। इनमें मतदाता सूची में वोटर की फोटो या तो बहुत छोटी लगी है या स्पष्ट नहीं है।

महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पर भी सवाल उठाए

• **हरियाणा:** राज्य में कुछ वोटों से चुनाव पलटा। 2024 में कांग्रेस 8 सीटों से हारी। इन पर वोटों का अंतर सिर्फ 22,799 है।

• **महाराष्ट्र:** राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोट हैं। 5 महीने में ज्यादा वोट जुड़े। शाम 5 बजे के बाद वोटिंग अचानक बढ़ गई थी।

• राहुल ने कहा कि वोटर लिस्ट में लाखों एंट्रीज की जांच एक-एक करके की गई। आयोग जानबूझकर ऐसे कागज देता है, जिन्हें कंप्यूटर पढ़ नहीं सकता। 7 फीट ऊंचा कागजों का पहाड़ खंगालकर सच्चाई निकाली।

विवाद छिड़ा

आप ने कहा- देश और दिल्ली का चुनाव रद्द करो

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा, 'मोदी ने पूरे देश का चुनाव चोरी से जीता है। चुनाव का कोई मतलब नहीं। दिल्ली में हमने शिकायत की थी, पर सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली और दिल्ली का चुनाव रद्द करो।'

फडणवीस ने चुनाव चुराने के आरोप सिरे से नकारे

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के आरोप नकार दिए। कटाक्ष करते हुए कहा, 'उन्हें अपने दिमाग की जांच करवानी चाहिए। या तो दिमाग चुरा लिया गया है, या दिमाग की चिप गायब है।'

आज वोट अधिकार रैली, 17 को बिहार में यात्रा की शुरुआत

कांग्रेस शुक्रवार को बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली करेगी। राज्य से मतदाता अधिकार आंदोलन शुरू होगा। राहुल 17 अगस्त से बिहार में दो सप्ताह की मतदाता अधिकार यात्रा की भी शुरुआत करेंगे।

पंजाब केसरी
FRI,08 AUGUST 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

भाजपा ने आयोग से मिलीभगत कर चुनाव में की धोखाधड़ी : राहुल

कहा, यह संविधान के खिलाफ एक अपराध

नई दिल्ली, 7 अगस्त (एजेंसी): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीरवार को भाजपा पर निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत कर चुनावों में 'बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी' करने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में किए गए विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा कि यह 'संविधान के खिलाफ एक अपराध' है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने यह भी कहा कि न्यायपालिका को भी इसमें शामिल होने की जरूरत है, क्योंकि 'जिस लोकतंत्र से हम इतना प्यार करते हैं, वह अब अस्तित्व में नहीं है।'

यहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ने शोध के माध्यम से जो कुछ एकत्र किया है, वह 'आपराधिक साक्ष्य' है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग देशभर में ऐसे (शेष पृष्ठ 13 कालम 2 पर)

जोड़े या हटाए नाम साझा करें राहुल : कर्नाटक के सीईओ

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें राज्य की मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया है या बाहर रखा गया है। साथ ही, उन्होंने राहुल गांधी से इस संबंध में एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी मांगा है, ताकि चुनाव प्राधिकारी इस मामले में "आवश्यक कार्यवाही" शुरू कर सकें। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा कि गांधी को या तो चुनाव संचालन नियमों के तहत एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए और उन लोगों की सूची प्रस्तुत (शेष पृष्ठ 13 कालम 1 पर)

दैनिक नवज्योति jaipur city - 08 Aug 2025 - Page 3

चुनाव आयोग ने गलत ढंग से जुड़वाए लाखों मतदाता: राहुल

दावा: मेरे पास गलत वोट बनाए जाने के प्रमाण

एजेंसी/नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवा रहा है और इस संबंध में उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट के मतदाताओं का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि वहां एक लाख से अधिक गलत वोट बनवाए गए थे। गांधी ने गुरुवार को पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनके पास गलत वोट बनाए जाने के 'प्रमाण' हैं और इस संबंध में उन्होंने वहां प्रस्तुति भी दी। उनका कहना था कि ये सभी प्रमाण तुलनात्मक ढंग से और पर्याप्त शोध के बाद जुटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची इस सीट पर तैयार की है उसमें एक-एक व्यक्ति के नाम पर चार-चार वोटर कार्ड बने हैं और इस तरह से इस सीट पर एक लाख 250 वोट चोरी हुए हैं।

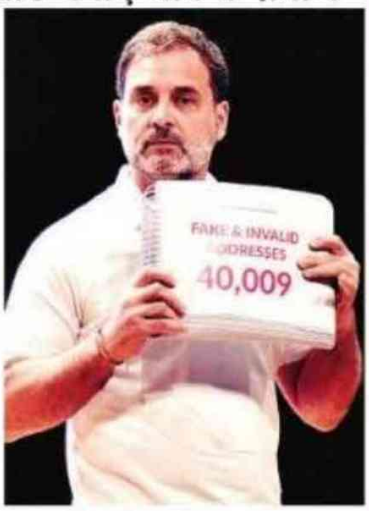

फार्म 6 से जोड़ा 70 साल की वोटर का नाम

उन्होंने कहा कि फार्म 6 का इस्तेमाल नये वोटर के लिए किया जाता है लेकिन उनके शोध में सामने आया है कि इस फार्म के जरिए 70 साल की वोटर शकुन रानी को भी शामिल किया गया है। कमाल यह है कि इस 70 साल की वोटर का चार जगह को वोटर कार्ड बना है और उसने तीन जगह मतदान किया है।

पांच तरीकों से ये फर्जी वोट लिस्ट में जोड़े गए

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि हमने कर्नाटक की एक विधानसभा महादेवपुरा क्षेत्र की जांच की और पाया कि यहां 1,00,250 वोटों की चोरी की गई। पांच तरीकों से ये फर्जी वोट लिस्ट में जोड़े गए। इसमें 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए, 40,009 फर्जी पतों का इस्तेमाल हुआ, 10,452 वोटर बड़ी संख्या में एक ही पते पर रजिस्टर किए गए, 4,132 वोटर बिना फोटो या अवैध फोटो के साथ जोड़े गए, 33,692 नए वोटर फॉर्म-6 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए हैं।

चुनाव आयोग पर राहुल का आरोप बेबुनियाद : रिजिजू

कांग्रेस ना कोर्ट को मानती है, ना चुनाव आयोग को

एजेंसी/नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं।

रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि गांधी ने आज फिर चुनाव आयोग पर हमला किया है। एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के बनाए हुए प्रस्तुति को श्री गांधी ने फिर से दोहराया है। कांग्रेस पार्टी ने कल उच्चतम न्यायालय पर हमला करते हुए कहा कि अदालत यह तय नहीं करेगा कि कौन भारतीय है और कौन भारतीय नहीं है। कांग्रेस शीर्ष अदालत को नहीं मानती है, चुनाव आयोग को नहीं मानती है तो वह किसको मानते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आज कर्नाटक के एक विधानसभा के बारे में जो बातें रखी उसमें कोई तथ्य नहीं है। चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय पर बार-बार हमला करना सही नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

... चुनाव कौन कराएगा

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को यहां घसीटकर लाएंगे तो चुनाव कौन कराएगा। सरकार अगर चुनाव सुधार का कोई कानून बनाएगी तो हम सदन में चर्चा कर सकते है लेकिन एसआईआर बिल्कुल अलग मामला है। राहुल की बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके पीछे एनजीओ है और जो उन्हें समझा दिया जाता है वहीं गांधी बात करते है।

राहुल शपथ पत्र के साथ शिकायत करें या आरोप लगाना बंद करें : चुनाव आयोग

राहुल के दावे गुमराह करने वाले

एजेंसी/नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधान सभा चुनाव की मतदता सूची पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के गुरुवार के बयानों और दावों को 'गुमराह करने वाला' बताते हुए उन्हें अपनी बात शपथ-पत्र के साथ राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने रखने की चुनौती दी है। आयोग ने सख्त शब्दों में कहा है कि कांग्रेस नेता को अपनी बात सच लगती है तो उन्हें उसे नियमानुसार शपथ-पत्र के साथ कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने रखना चाहिए, और यदि उन्हें अपनी बात पर ही विश्वास नहीं है तो बेतुके निष्कर्ष निकालना बंद करना चाहिए।

आयोग ने सोशल मीडिया पर अपने फैक्टचेक अकाउंट के माध्यम से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को गुमराह करने वाला करार देते हुए खारिज किया। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी को यदि लगता है कि उनकी बात सही है तो उन्हें मतदाता पंजीयन नियमावली 1960 के नियम 20(3) (बी) के तहत बयान/ शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर कर उसे आज शाम तक ही कर्नाटक के सीईओ (मुख्य चुनाव अधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। गांधी को यदि अपनी बात पर भरोसा नहीं है तो उन्हें बेतुके निष्कर्ष निकालने और भारत की जनता को गुमराह करने से बाज आना चाहिए।

मुद्दा • ये विवाद बिहार चुनाव के बाद भी बना रहेगा

वोट देने का ही हक न रहेगा तो लोकतंत्र का क्या होगा?

वोटर-लिस्ट

ज्यां द्रेज़
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री

बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। लेकिन फिलहाल सबका ध्यान राजनीतिक गठबंधनों या पार्टी घोषणापत्रों पर नहीं, मतदाता-सूची पर है। इस मतदाता-सूची की तैयारी पर बड़ा विवाद हो रहा है।

बिहार में पहले से ही एक मतदाता-सूची है, जो उचित प्रक्रिया से तैयार की गई है। हम इसे आधार-सूची कह सकते हैं। 24 जून 2025 को, भारत निर्वाचन आयोग ने अचानक एक नई मतदाता-सूची तैयार करने का आदेश जारी कर दिया। यह नई सूची मुख्यतः आधार-सूची का सत्यापन करके तैयार की जा रही है। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को उस आधार-सूची में शामिल सभी लोगों को एक फॉर्म देना है, जिसमें आधार-सूची की उनकी जानकारी पहले से छपी है। बीएलओ से अपेक्षा की जाती है कि वह यह फॉर्म भरने में उनकी मदद करें, उनकी फोटो और हस्ताक्षर लें, और फॉर्म अपलोड करें।

यह सब एक महीने के भीतर (26 जुलाई तक) बिना किसी खास तैयारी के होना था। ऐसे में आप अफरातफरी का अंदाजा लगा सकते हैं। मिल रही सूचनाओं के आधार पर समय के दबाव में बीएलओ अकसर नियम तोड़ रहे हैं। कई बार सिर्फ आधार कार्ड और फोन नंबर इकट्ठा कर रहे हैं और फर्जी हस्ताक्षर के साथ फॉर्म अपलोड कर रहे हैं। यह बात कई स्रोतों से पता चली है, जैसे 21 जुलाई को पटना में हुई एक जनसुनवाई, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और भारत जोड़ो अभियान का एक सर्वेक्षण।

जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया, वे सभी 1 अगस्त को जारी की गई मसौदा मतदाता-सूची में शामिल हैं। इस सूची में केवल 7.24 करोड़ मतदाता हैं, जबकि आधार-सूची में यह संख्या 7.89 करोड़ थी। जैसा कि राहुल शास्त्री और योगेंद्र यादव ने दर्शाया, इसका मतलब यह है कि मसौदा मतदाता-सूची बिहार की अनुमानित वयस्क आबादी के केवल 88% को ही कवर करती है, जबकि आधार-सूची में यह संख्या 97% थी। दूसरे शब्दों में, लाखों लोग बिहार की मसौदा मतदाता-सूची से वंचित हैं। (अखिल भारतीय स्तर पर, मतदाता-सूचियां अनुमानित वयस्क आबादी के 99% को कवर करती हैं।)

लेकिन यह तो ट्रेलर है। अगले चरण में, लोगों से 11 पहचान-पत्रों में से कम से कम एक जमा करने की अपेक्षा की जा रही है। इन दस्तावेजों में दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट आदि शामिल हैं। कई लोगों के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं हैं। उनका क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं है।

इन दस्तावेजों को इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या है? चुनाव आयोग का 24 जून का आदेश इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आयोग द्वारा पेश किए गए हलफनामे से यह बात स्पष्ट हो जाती है। हलफनामे में दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहली, चुनाव के संदर्भ में लोगों की नागरिकता सत्यापित करना आयोग का अधिकार और कर्तव्य है। दूसरी, नागरिकता का प्रमाण नागरिकों को ही प्रस्तुत करना है। लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करें, जिनसे तय हो सके कि वे नागरिक हैं या नहीं। दोनों ही दावे खतरनाक हैं। अब तक मतदाताओं से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए कभी नहीं कहा गया था। मतदाता-सूचियों को यथासंभव समावेशी होना चाहिए। केवल तभी जांच की आवश्यकता हो सकती है जब किसी की नागरिकता के बारे में गहरा संदेह हो। चुनाव आयोग इस सिद्धांत को उलटने की कोशिश कर रहा है।

लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि वे ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करें, जिनसे तय हो सके कि वे नागरिक हैं या नहीं। वोटरों से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए पहले कभी नहीं कहा गया था। मतदाता-सूचियों को तो समावेशी होना चाहिए।

आम लोग अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगे? एक-दो छोड़कर, चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से कोई भी नागरिकता को साबित नहीं करता। इसके अलावा बहुत लोगों के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है। अंततः, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को पूरा अधिकार दिया गया है यह तय करने का कि वे किसी व्यक्ति के नागरिक होने से संतुष्ट हैं या नहीं। यहीं पर मनमानी का बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।

ये खतरे बिहार चुनाव के बाद भी कायम रहेंगे। याद रहे, यह विशेष गहन पुनरीक्षण पूरे देश में होना है। साथ ही, यह प्रक्रिया अन्य संदर्भों में भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाने का रास्ता खोल रही है। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इस उत्पीड़न के मुख्य शिकार कौन होंगे!

(ये लेखक के अपने विचार हैं)